न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 12/ 2024
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2024/34

प्रार्थी/अपीलार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री दिनेश वैष्णव पिता श्री शंकरदास वैष्णव निवासी चिडियावासा, तहसील व जिला बांसवाडा (राजस्थान)		1. श्री देवा पिता सवला, निवासी चिडियावासा, तहसील व जिला बांसवाडा 2. तहसीलदार तहसील बांसवाडा

उपस्थित

श्री हिरालाल जैन, अधिवक्ता अपीलांट

श्री मुकेश द्विवेदी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं 1

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 12–03–2025

अपीलांट द्वारा तहसीलदार तहसील बांसवाडा के प्रकरण सं. 01/2024 देवा बनाम दिनेश, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय दिनांक 14.06.2024 से असन्तुष्ट, अप्रसन्न व व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 व धारा 151 सी.पी.सी बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2024 की पालना अपील के निस्तारण तक स्थगित रखे जाने हेतु संलग्न है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि अपीलांट का विवादग्रस्त जमीनं पर सन् 1982 से कब्जा व उक्त भूमि पर तभी से निर्माण है तथा पुराने मकान पर उक्त भूमि पर वर्ष 1996 से स्व. श्रीमती राजेश्वरी वैष्णव के नाम से विधुत कनेक्शन जारी है उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त विधुत कनेक्शन उनके परिवार के सदस्य गौरव वैष्णव के नाम से जारी है उक्त भूमि पर पूर्व से निर्माण किया हुआ था, उस पर ही नवीन निर्माण किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को उसके खेत में आने जाने का रास्ता बंद नहीं किया जा रहा है। रेस्पोडेंट के खेत में आने जाने का रास्ता पूर्व से विद्यमान है और उसी से वह वर्षो से अपने खेत मे आना जाना कर रहा है। भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा तथा तहसीलदार बांसवाडा द्वारा पुराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

मुश्तकिल पोईन्ट से किसी प्रकार से नप्ती नही कराई गई है व मनमाने ढंग से निराधार गलत रिपोर्ट बनाकर रेस्पोडेंट के उक्त खेत नंबर 1661/835 के रकबा में से 0.0260 हेक्टेयर व आराजी नंबर 834/2 की भूमि मे से 0.0297 हेक्टेयर भूमि में सिमेन्ट व सलिये से पक्का निर्माण करना बताकर गलत रिपोर्ट की है। भूअभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी चिडियावासा द्वारा दिनांक 10.04.2024 को दी रिपोर्ट में सर्वे नंबर 1661/835 के रकबा में से 0.0260 हेक्टेयर भूमि पर भवन का निर्माण करना व कब्जा होना बताया है जबकि दिनांक 17.05.2024 की पश्चातवर्ती रिपोर्ट में उससे अधिक जमीन पर निर्माण करना व कब्जा होना बताया है। रेस्पोडेंट द्वारा भी दिनांक 03.01.2024 को यह निवेदन किया है कि अपीलांट दिनेश वैष्णव द्वारा सर्वे नंबर 1661/835 के रकबा मे से 0.0280 हेक्टेयर व सर्वे नंबर 834/2 के रकबा 0.1942 हेक्टेयर मे से 0.0297 हेक्टेयर भूमि में सीमेन्ट व सलीये से कॉलम लेकर पक्का निर्माण होना बताया है इस प्रकार रेस्पोडेंट सं.1 द्वारा विरोधाभासी शिकायते की गई जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का चिडियावासा द्वारा विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कानून के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित शिड्युल 3 पार्ट 2 मे बताये अनुसार यह प्रार्थना पत्र 12 वर्ष की अवधि के बाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है। अपीलांट का मकान सन् 1982 से बना हुआ है और उसके परिवारजन का लगातार निर्बाध कब्जा चला आ रहा है वाद 1982 मे पैदा हुआ है। रेस्पोडेंट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होकर म्याद बाहर है व पोषणीय नही होते हुए विद्वान तहसीलदार साहब बांसवाडा ने उक्त प्रकरण में कार्यवाही कर उक्त आदेश देकर कानूनी भूल की है। तहसीलदार साहब बांसवाडा ने उक्त प्रकरण में किसी भी पक्षकार के बयान लेखबद्ध नही किये है तथा विरोधाभासी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट अप्रार्थी को किसी भी प्रकार से जीरह करने का अवसर भी प्रदान नही किया है। अपीलांट एक ओ.बी.सी गरीब वर्ग का सदस्य है तथा हजारो रुपया व्यय कर निर्माण किया है। रेस्पोडेंट ने अपनी निजी द्वैषतावश झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्यवाही करवाई है जो गैर कानूनी है।

अपील अपीलांट स्वी[illegible] आदेश तहसीलदार बांसवाडा के प्रकरण सं. 1/2024 [illegible] 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय [illegible] [illegible]रस्त करना फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंटस् को समन जारी किये गए। दिनांक 16.08.2024 को रेस्पोडेंट्स को जारी समन बाद तामील पेश हुए। रेस्पोडेंट्स सं. 1 की ओर से

जिला कलेक्टर
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

श्री मुकेश द्विवेदी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 20.11.2024 को रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट की ओर से मूल अपील एवं स्थगन बाबत् प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया है कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई पुराना मकान निर्मित नही है। अपीलांट द्वारा अनाधिकृत निर्माण करने से रेस्पोडेंट को उसके खेत में आने जाने का रास्ता बन्द हो गया है। अपीलांट द्वारा मुख्य सडक के रास्ते पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अपीलांट का जीर्ण शीर्ण निर्माण मौके पर नही है। भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा ने मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की है जिसमें भी अपीलांट ने अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण किया है। भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा द्वारा अपीलग्रस्त सर्वे 1661/835 के रकबा में से 0.0260 हैक्टेयर व आराजी नंबर 834/2 की भूमि में से 0.0297 हैक्टेयर भूमि पर सीमेन्ट व सलीये से पक्का निर्माण कर रहा है। भू अभिलख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा मौके पर जाकर निर्धारित मापदण्डो के तहत रिपोर्ट तैयार की है जिसमे भी स्पष्ट रुप से साबित है कि अपीलांट गैर कानूनी तरिके से रेस्पोडेंट सं. 1 की कृषि भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास व रास्ता रोक रहा है जो गैर कानूनी है। उक्त प्रकरण में सर्वे नंबर 1661/835 रकबा 0.1375 हैक्टेयर व 834/2 के रकबा 0.1942 हैक्टेयर रेस्पोडेंट सं. 1 के खातेदार भूमि का सीमाज्ञान मौके पर जाकर भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा द्वारा किया गया है जो कि प्रमाणिक है। मौके पर अपीलांट का कोई जीर्ण शीर्ण भवन नही है। मौके के फोटो पुराने भवन के फोटो, मौके का सेटेलाईट नक्शा व नव निर्माण का फोटो मैनेज किये हुए है। रेस्पोडेंट सं. 1 के खाता सं. 181 की कृषि भूमि का खातेदार कृषक है। अपीलांट का 1982 में काई मकान बना हुआ नही है। अपीलांट का रेस्पोडेंट की भूमि पर आज दिन तक कोई कब्जा नही रहा है। अपीलांट अवैध रुप से रेस्पोडेंट की कृषि भूमि व मुख्य सडक मार्ग पर अतिक्रमण कर रहा है। अपीलांट गरीब वर्ग का सदस्य नही है अपितु अपीलांट ओ.बी.सी. वर्ग का होकर विधुत विभाग में कर्मचारी रहा है। उसके पास अत्याधुनिक वाहन भी है। रेस्पोडेंट सं. 1 अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है तथा अपीलांट ने रेस्पोडेंट सं. 1 अनुसूचित जाति के कृषक की कृषि भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास किया व रेस्पोडेंट सं. 1 को खेतो में आने जाने के मार्ग को रोका है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांसवाडा द्वारा अपीलग्रस्त आराजी सर्वे नंबर का भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा द्वारा समय समय पर मौके की जांच करवाई गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

है। जिसकी रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के कई अवसर दिये गये है लेकिन अपीलांट अपना पक्ष साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अपील अपीलांट अस्वीकार कर तहसीलदार बांसवाडा के प्रकरण संख्या 1/2024 देवा बनाम दिनेश के आदेश दिनांक 14.06.2024 को यथावत रखने आदेश फरमावे।

दिनांक 27.02.2025 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मैमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का विवादग्रस्त जमीन पर सन् 1982 से कब्जा व उक्त भूमि पर तभी से निर्माण है तथा पुराने मकान पर उक्त भूमि पर वर्ष 1996 से स्व. श्रीमती राजेश्वरी वैष्णव के नाम से विधुत कनेक्शन जारी है उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त विधुत कनेक्शन उनके परिवार के सदस्य गौरव वैष्णव के नाम से जारी है उक्त भूमि पर पूर्व से निर्माण जीर्ण शीर्ण हो गया था, उस पर ही नवीन निर्माण किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा कराये गये निर्माण से रेस्पोडेंट को उसके खेत में आने जाने का रास्ता बंद नही हो रहा है। रेस्पोडेंट देवा के खेत में आने जाने का रास्ता पूर्व से विद्यमान है और उसी से वह वर्षो से अपने खेत में आना जाना कर रहा है। भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा तथा तहसीलदार बांसवाडा द्वारा पुराने पुराने मुश्तकिल पोईन्ट से किसी प्रकार से नप्ती नही कराई गई है व मनमाने ढंग से निराधार गलत रिपोर्ट बनाकर रेस्पोडेंट के उक्त खेत नंबर 1661/835 के रकबा में से 0.0260 हेक्टेयर व आराजी नंबर 834/2 की भूमि मे से 0.0297 हेक्टेयर भूमि में सिमेन्ट व सलिये से पक्का निर्माण करना बताकर गलत रिपोर्ट की है। भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी चिडियावासा द्वारा दिनांक 10.04.2024 को दी रिपोर्ट में सर्वे नंबर 1661/835 के रकबा में से 0.0260 हेक्टेयर भूमि पर भवन का निर्माण करना व कब्जा होना बताया है जबकि दिनांक 17.05.2024 की पश्चातवर्ती रिपोर्ट में उससे अधिक जमीन पर निर्माण करना व कब्जा होना बताया है। रेस्पोडेंट द्वारा भी दिनांक 03.01.2024 को यह निवेदन किया है कि अपीलांट दिनेश वैष्णव द्वारा सर्वे नंबर 1661/835 के रकबा मे [illegible] हेक्टेयर व सर्वे नंबर 834/2 के रकबा 0.1942 हेक्टेयर मे से [illegible] व सलिये से कॉलम लेकर पक्का निर्माण होना बताया है इस प्रकार रेस्पोडेंट सं.1 द्वारा [illegible]धाभासी शिकायते की गई जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का चिडियावासा द्वारा विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कानून के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित शिड्युल 3 पार्ट 2 मे बताये अनुसार यह प्रार्थना पत्र 12 वर्ष की अवधि के बाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है। अपीलांट का मकान सन् 1982 से बना हुआ है और उसके परिवारजन का लगातार निर्बाध कब्जा चला आ रहा है वाद 1982 मे पैदा हुआ है। रेस्पोडेंट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होकर म्याद बाहर है व पोषणीय नही होते हुए विद्वान तहसीलदार साहब बांसवाडा ने उक्त प्रकरण में कार्यवाही कर उक्त आदेश देकर कानूनी भूल की है। तहसीलदार साहब बांसवाडा ने उक्त प्रकरण में किसी भी पक्षकार के बयान लेखबद्ध नही किये है तथा विरोधाभासी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट अप्रार्थी को किसी भी प्रकार से जीरह करने का अवसर भी प्रदान नही किया है। अपीलांट एक ओ.बी.सी गरीब वर्ग का सदस्य है तथा हजारो रुपया व्यय कर निर्माण किया है। रेस्पोडेंट ने अपनी निजी द्वैषतावश झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्यवाही करवाई है जो गैर कानूनी है।

अपील अपीलांट स्वीकार करना फरमावे तथा अपीलगत आदेश तहसीलदार बांसवाडा के प्रकरण सं. 1/2024 देवा बनाम दिनेश, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय दिनांक 14.06.2024 को निरस्त करना फरमावे।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने कथन के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए –

आरआरडी. 14.07.2014 (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) रामावतार बनाम श्रीमती मनोहरी व अन्य

उक्त बहस के खण्डन में रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई पुराना मकान निर्मित नही है। अपीलांट द्वारा मुख्य सडक के रास्ते पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अपीलांट का जीर्ण शीर्ण निर्माण मौके पर नही है। भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा ने मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की है जिसमें भी अपीलांट ने अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण किया है। भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा द्वारा वादग्रस्त सर्वे 1661/835 के रकबा में से 0.0260 हैक्टेयर व आराजी नंबर 834/2 रकबा में से 0.0297 हैक्टेयर भूमि पर सीमेन्ट व सलीये से पक्का निर्माण कर रहा है। भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा मौके पर जाकर निर्धारित मापदण्डो के तहत रिपोर्ट तैयार की है जिसमे भी स्पष्ट रुप से साबित है कि अपीलांट गैर कानूनी तरिके से रेस्पोडेंट सं. 1 की कृषि भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतिक्रमण करने का प्रयास व रास्ता रोक रहा है जो गैर कानूनी है। उक्त प्रकरण में सर्वे नंबर 1661/835 रकबा 0.1375 हैक्टेयर व 834/2 के रकबा 0.1942 हैक्टेयर रेस्पोडेंट सं. 1 के खातेदार भूमि का सीमाज्ञान मौके पर जाकर भू अभिलेख निरीक्षक चिड़ियावासा व पटवारी हल्का चिड़ियावासा द्वारा किया गया है जो कि प्रमाणिक है। मौके पर अपीलांट का कोई जीर्ण शीर्ण भवन नही है। रेस्पोडेंट सं. 1 के खाता सं. 181 की कृषि भूमि का खातेदार कृषक है। अपीलांट का 1982 में काई मकान बना हुआ नही है। अपीलांट का रेस्पोडेंट की भूमि पर आज दिन तक कोई कब्जा नही रहा है। अपीलांट अवैध रुप से रेस्पोडेंट की कृषि भूमि व मुख्य सडक मार्ग पर अतिक्रमण कर रहा है। अपीलांट गरीब वर्ग का सदस्य नही है अपितु अपीलांट ओ.बी.सी. वर्ग का होकर विधुत विभाग में कर्मचारी रहा है। उसके पास अत्याधुनिक वाहन भी है। रेस्पोडेंट सं. 1 अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है तथा अपीलांट ने रेस्पोडेंट सं. 1 अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास किया व रेस्पोडेंट सं. 1 को खेतो में आने जाने के मार्ग को रोका है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांसवाडा द्वारा अपीलग्रस्त आराजी सर्वे नंबर का भू अभिलेख निरीक्षक चिड़ियावासा व पटवारी हल्का चिड़ियावासा द्वारा समय समय पर मौके की जांच करवाई गई है। जिसकी रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के कई अवसर दिये गये है लेकिन अपीलांट अपना पक्ष साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अपील अपीलांट अस्वीकार कर तहसीलदार बांसवाडा के प्रकरण संख्या 1/2024 देवा बनाम दिनेश के आदेश दिनांक 14.06.2024 को यथावत रखने आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांसवाडा के अपीलाधीन प्रकरण सं. 1/2024 में सुनवाई एवं साक्ष्य के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। उक्त प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 31.01.2024 को अपना जवाब पेश किया है। इस प्रकार अपीलांट को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। सर्व प्रथम अपीलांट के अधिवक्ता का कथन कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बांसवाडा ने "उक्त प्रकरण में किसी भी पक्षकार के बयान लेखबद्ध नही किये है तथा विरोधाभासी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट अप्रार्थी को किसी

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

भी प्रकार से जीरह करने का अवसर भी प्रदान नही किया है।" के संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 10.01.2024 को दर्ज करने के पश्चात् अपीलांट/अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अपीलांट/ अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में दिनांक 31.01.2024 को अपना जवाब पेश किया गया है। उसके पश्चात् नियमानुसार सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 14.06.2024 को पारित किया गया है। जहाँ तक अपीलांट के अधिवक्ता के प्रश्न कि पक्षकारो के बयान लेखबद्ध नही किये गये एवं जीरह का अवसर नही दिया गया। "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 ख अनुसार अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली" का प्रावधान है।

अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहन अध्ययन व अवलोकन करने पर पाया कि –

- भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा व पटवारी हल्का चिडियावासा की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2024 मय जमाबंदी व नक्षा ट्रेस के अनुसार खाता संख्या 181 खातेदार देवा पिता सवला जाति चमार के नाम ग्राम चिडियावासा के आराजी नंबर 1661/835 रकबा 0.1375 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0260 हैक्टेयर मे वर्तमान में दिनेश पिता शंकरदास वैष्णव द्वारा धुणी का निर्माण किया हुआ पाया गया है।
- पटवारी हल्का चिडियावासा की रिपोर्ट दिनांक 01.03.2024 व मौका पर्चा अनुसार दिनेश पिता शंकरदास वैष्णव द्वारा चिडियावासा के आराजी नंबर 1661/835 रकबा 0.1375 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0260 हैक्टेयर भूमि व आराजी नंबर 864/2 रकबा 0.1942 हैक्टेयर मे से 0.0297 हैक्टेयर मे सीमेन्ट व सरिये के कॉलम लेकर पक्का निर्माण करना पाया गया है।
- दिनांक 08.05.2024 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांसवाडा द्वारा पुनः सीमाज्ञान करने आदेशित करने पर दिनांक 17.05.2024 को पटवारी हल्का चिडियावासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम चिडियावासा के खाता सं. 181 खातेदार देवा पिता सवला जाति चमार सा. देह के आराजी नंबर 1661/835 रकबा 0.1375 हैक्टेयर मे से 1900 वर्गफीट धुणी का निर्माण व 266 वर्गफीट भूमि निर्माणाधीन जगह व धुणी मध्य अपीलांट / अप्रार्थी दिनेश पिता शंकरदास वैष्णव का अतिक्रमण पाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जाँच, तथ्यो की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहिन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बांसवाडा के प्रकरण सं. 01/2024 देवा बनाम दिनेश, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय दिनांक 14.06.2024 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.25 11:49:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner